



सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय  
**उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद**  
80, भरतपुरी योजना, गोण्डा

पंजीकृत

पत्रांक ..... स.प्र. .... दिनांक.....  
सेवा में, .....  
.....

**प्रदेशन पत्र**

संपत्ति के आवंटन हेतु अपने पंजीकरण सं०/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या.....का

संदर्भ ले । दिनांक.....की लाट्री ड्रा में आपको निम्नांकित संपत्ति को आवंटन किया गया है ।

शहर	: गोण्डा	शहर कोड	:
आरक्षण श्रेणी	:	आरक्षण कोड	:
योजना	: भरतपुरी योजना	योजना कोड	:
पंजीकरण योजना	:	पंजीकरण योजना कोड	:
भुगतान पद्धति	: नगद/आधा नगद/किस्त	भुगतान पद्धति कोड	:
संपत्ति श्रेणी	:	संपत्ति श्रेणी कोड	:
संपत्ति संख्या	:	प्रापर्टी आई डी	:
भूखण्ड का क्षेत्रफल	: वर्ग मी०	फार्म संख्या	:

(क) सम्पत्ति का मूल्य

-भूखण्ड का मूल्य (फ्री होल्ड) चार्ज सहित रु०.....  
 -भवन निर्माण का मूल्य रु०.....  
 -कार्नर का भूखण्ड रु०.....  
 -योग रु०.....

(ख) अब तक जमा धनराशि :

पंजीकरण धनराशि रु०.....  
 -ब्याज रु०.....  
 ( )  
 योग रु०.....

(ग) शेष देय

एक मुश्त/आधा नगद देय रु०.....  
 (पंजीकरण अन्तर धनराशि) रु०.....

(घ) विधि शुल्क

विलेख उत्पादन रु०.....  
 विज्ञापन व्यय रु०.....

रूपया 100 के पूर्णांक पर धनराशि रु०.....

किस्तों की गणना हेतु अवशेष रु०.....

( प्रतिशत ब्याज)

आपको मासिक/द्विमाही/तिमाही/छमाही किस्त रु०.....जमा करनी होगी । प्रथम किस्त दिनांक.....की देय होगी

नोट :- (1) किसी भी देय धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर.....प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा ।  
 (2) न्यायालय के आदेश से अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदनुसार आपको भुगतान करना होगा।  
 उपरोक्त विवरण के अंश (ग) में अंकित धनराशि.....परिषद के खाता पंजाब नेशनल बैंक बड़गाँव गोण्डा तथा (घ) की धनराशि.....परिषद के खाता पंजाब नेशनल बैंक बड़गाँव गोण्डा में दिनांक.....तक अवश्य जमा करनी होगी ।

आवंटी द्वारा वांछित धनराशि निर्धारित अवधि में जमा न किये जाने व निरस्तीकरण हेतु लिखित सहमति न दिये जाने की दशा में उन्हें एक पंजीकृत नोटिस आगामी 15 दिन के अन्दर वांछित धनराशि जमा करने हेतु प्रेषित किया जायेगा और यदि फिर भी आवंटी द्वारा वांछित धनराशि नहीं जमा की जाती है तो रूपया.....का 20 प्रतिशत की कटौती की जायेगी ।

यदि आवंटी द्वारा उक्त वांछित धनराशि जमा न करके आवंटन पत्र के निर्गमन तिथि से तीन माह के अन्दर निरस्तीकरण हेतु आदेश जारी करने में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो पंजीकरण धनराशि रूपया.....का 20 प्रतिशत की कटौती की जायेगी । अन्यथा की दशा में तीन माह के पश्चात आवंटी द्वारा अनुरोध किये जाने अथवा अदेयता की स्थिति में पंजीकरण धनराशि रूपया.....का 50 प्रतिशत की कटौती की जायेगी ।

उक्त प्रदेशन पत्र में निहित शर्तों में यदि परिषद आदेशानुसार शिथलीकरण/परिवर्तन किया गया है अथवा परिवर्तन होगा तो तदनुसार उस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा । डाक से विलम्ब हेतु परिषद उत्तरदायी नहीं होगा । उक्त भवन को किसी भी ऋण देने वाली पंजीकृत संस्था के पक्ष में बन्धक रखने में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को कोई आपत्ति नहीं है ।

शुभ कामनाओं सहित

आवश्यक निर्देश :-

- (3) धनराशि/औपचारिकता दिनांक.....तक जमा न होने की दशा में रु0.....प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा । अंश 'ग' में सूचित धनराशि नियत तिथि तक जमा न होने की दशा में दिनांक.....से.....% की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा । यदि पंजीकरण की पूर्ण धनराशि जमा नहीं की है तो पंजीकरण अंतर बयाना धनराशि का विलम्ब शुल्क रु0.....जमा करें ।
- (4) पंजीकरण सत्यापन की शर्त के अधीन जारी इस अन्तिम आवंटन पत्र पर कब्जा पत्र पंजीकरण वैधता की पुष्टि के उपरान्त ही जारी होगा । दिनांक.....तक पूर्ण की जाने वाली औपचारिकताओं का विवरण :-

- (1) धनराशि रूपया.....का स्टैम्प पेपर टंकित ।
- (2) धनराशि रूपया 100-00 रूपये का एक स्टाम्प पेपर टंकित ।
- (3) 04 नग साइट प्लान, 07 नग प्रमाणित फोटो एवं 05 नग अधोहस्ताक्षरी का फोटो ।

### सम्पत्ति प्रबन्धक

निम्नलिखित प्रारूप रु0 10.00 के नान जुडीशियल स्टैम्प पेपर पर मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करें ।  
नोट :- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी विनियम 1979 (यथा संशोधित जून 1986 मू0सं0 10/) विक्रय हेतु समस्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों में एवं प्रचार अनुभाग उत्तर प्रदेश के आवास एवं विकास परिषद 104 महात्मा गाँधी मार्ग लखनऊ में उपलब्ध है ।

### शपथ पत्र का प्रारूप

मैं नाम.....पुत्र/पुत्री.....उम्र.....निवासी.....

निम्न प्रकार शपथ पूर्वक कहता/कहती हूँ ।

- 1- मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णतयः या अंशत.....नगर में नहीं है और उत्तर प्रदेश के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है ।
  - 2- मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नगर भूमि में सीमारोपण 1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी । मैं तथा मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों द्वारा उत्तर प्रदेश नगरीय सीमा में केवल एक भवन/भूखण्ड के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती हूँ ।
  - 3- मेरे समस्त श्रोतों से रजिस्ट्रेशन पूर्व वित्तीय वर्ष.....की वार्षिक आय, जिसमें मेरे/मेरी पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अवयस्क बच्चे सम्मिलत हैं कुल रु0.....से अधिक नहीं थी ।
- मैं (नाम..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है ।)

स्थान.....

दिनांक.....

प्रमाणित

शपथी

मैजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी